


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप ग्रुप एफ में संवर्गित प्रधानाध्यापक (मावि) एवं समकक्ष पद पे-बेण्ड 15600-39100 पी बी-3 ग्रेड पे 5400 में 2013-14 व 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंसाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेशांक:- शिविरा/मा/संस्था/बी-III/रिव्यू प्रअ/डीपीसी/2013-14 से 2017-18/(पुरुष) दिनांक:-16.12.2018 द्वारा चयन(कार्मिक के नाम के सामने अंकित चयन वर्ष में) किया गया था । उक्त चयनित कार्मिकों के सम्बन्ध में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.12.2018 जारी किया गया था । उक्त पदस्थापित कार्मिकों में से निम्नांकित कार्मिकों के सम्बन्ध में दिनांक 19.12.2018 को जारी पदस्थापन आदेश उनके नाम के सामने अंकित विवरण के आधार एतद् द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है ।

क स	वरि. क्र.	वर्ष	नाम	वर्ग	जन्मतिथि	डीपीसी चयन वर्ष	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	विशेष विवरण
1	382	1986-88	Ranveer Singh		01-12-1960	2013-14	GSSS JHUNJHUNU, JHUNJHUNU	G SEC. S DURANA, JHUNJHUNU	उल्लेखित वरिष्ठता धारित नहीं
2	1493	1986-88	Satya narayan		01-07-1960	2013-14	GOVT. SEC. SCH. NIMOLA LAMBA, TONK	GOVT SECONDARY SCHOOL AMINPURA, TONK	उल्लेखित वरिष्ठता धारित नहीं
3	1134	1991-92	Swai ram	SC	28-08-1966	2013-14	GOVT.SEC.SCH., BASARI KHURD, SIKAR	J.P.Y.GOVT.SEC.SC, NEEM KA THANA sikar	1.6.2002 उपरान्त तीन संतान प्रकरण



(नथमल डिडेल)

आई.एस.


निदेशक माध्यमिक

शिक्षा राजस्थान बीकानेर

दिनांक:- 07/01/2019

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-1/45001/प्रअ/रिव्यू-नियमित/डीपीसी-13-14 व 14-15/2018(3-4) प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
04. संयुक्त निदेशक -स्कूल शिक्षा समस्त संभाग।
05. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी-स्कूल शिक्षा समस्त।
- 06 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक /प्रारंभिक समस्त।
- 07 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त।
08. संबंधित संस्था प्रधान।
09. संबंधित कार्मिक
10. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी-3 को आगामी कार्यवाही हेतु।
11. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक-कार्मिक